भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
*****

लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2375
(जिसका उत्तर सोमवार, 13 दिसम्बर, 2021/22 अग्रहायण, 1943 (शक) को दिया जाना है)

"जीएसटी परिषद की बैठक"

2375. श्री सी. लालरोसांगा:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) माल और सेवा कर (जीएसटी) परिषद की आगामी बैठक में किन मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा;

(ख) क्या मंत्री समूह (जीओएम) विशेष दरों सहित वर्तमान स्लैब दर संरचना की समीक्षा कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो जीओएम द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या जीएसटी परिषद द्वारा छोटे व्यवसायों और उपभोक्ताओं की मदद के लिए कोई रूपरेखा तैयार की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री पंकज चौधरी

(क) जीएसटी परिषद की अगली बैठक की तारीख तय नहीं हुई है ।

(ख) दर युक्तिकरण पर 24 सितंबर, 2021 को गठित मंत्रियों के समूह (जीओएम) के लिए निर्धारित उद्देश्यों में, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित भी शामिल हैं:-

(i) मौजूदा कर के स्लैब की दरों की समीक्षा करना और आवश्यक संसाधनों को जुटाने के लिए इसमें आवश्यक परिवर्तनों की सिफारिश करना।

(ii) विशेष दरों सहित जीएसटी की वर्तमान दर स्लैब संरचना की समीक्षा करना, और जीएसटी में सरल दर संरचना के लिए आवश्यक कर दर स्लैब के विलय सहित युक्तिकरण उपायों की सिफारिश करना ।

(ग) कर के युक्तिकरण पर जीओएम की पहले ही दो बैठकें सम्पन्न हो चुकी हैं और जीओएम के विचार-विमर्श के समाप्त होने के बाद ही रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

(घ) तथा (ङ) जीएसटी परिषद ने अपनी बैठकों में छोटे-मोटे व्यवसायों और उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए विचार-विमर्श किए गए हैं और विभिन्न उपाय किए गए हैं। किए गए प्रमुख उपायों का विवरण इस प्रकार है:

(i) माल के लिए 40 लाख रूपए और सेवाओं के लिए 20 लाख रुपये की 'थ्रेशोल्ड सीमा' की छूट का निर्धारण किया गया है।

(ii) एक कंपोजीशन लेवी योजना लागू की गयी है जिसके तहत निर्धारित सीमा से कम का कारोबार करने वाले निर्धारिती अपनी जीएसटी देनदारियों का कम दरों पर सरल तरीके से निर्वहन कर सकते हैं।

(iii) दो(2) करोड़ रुपये से कम का कुल वार्षिक कारोबार करने वाले करदाताओं को वित्त वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के लिए फॉर्म GSTR-9 और फॉर्म GSTR-9A में वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, पांच(5) करोड़ रुपये से कम वार्षिक कारोबार करने वाले करदाताओं को फॉर्म GSTR-9C में वार्षिक समाधान विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

(iv) पांच (5) करोड़ रुपये तक के कुल कारोबार वाले पंजीकृत व्यक्तियों के लिए त्रैमासिक रिटर्न मासिक भुगतान योजना 01.01.2021 से शुरू की गई है, जिसके अनुसार करदाताओं को मासिक आधार के बजाय तिमाही आधार पर जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की सुविधा दी गई है।

(v) छोटे करदाताओं पर विलंब शुल्क के बोझ को कम करने के लिए रिटर्न दाखिल करने में विलंब होने पर लगाए जाने वाले विलंब शुल्क को युक्तिसंगत बनाया गया है।

*****